

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/46/2019 दायर दिनांक 07.11.2019

उनवान:- घीसाबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिड़ावा
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थीया श्रीमती घीसाबाई वगै० पत्नि रामलाल नाई नि० सारंगाखेडा तहसील पिड़ावा के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सारंगाखेडा पटवार मण्डल रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 मे खाता संख्या 238 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया के पति का नाम व जाति) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम सारंगाखेडा पटवार मण्डल रमायदलपत तहसील पिड़ावा	238	रामलाल पिता गबजी जाति सौधिया	रामलाल पिता गब्बा जाति नाई



क्रमांक:- राजस्व/2021/24-25

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीमती घीसाबाई वगै० पत्नि रामलाल नाई नि० सारंगाखेडा को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 04/01/2021

